

No. 252/XXXVI(3)/2021/52(1)/2021
Dated Dehradun, September 22, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ' **The Himalayan Garhwal University (Amendment) Act, 2021 (Act No. 21 of 2021)**.

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 18 September, 2021.

The Himalayan Garhwal University (Amendment) Act, 2021

(Uttarakhand Act No. 21, Year 2021)

An

Act

further to amend in the Himalayan Garhwal University Act, 2016.

Be it enacted by Uttarakhand State Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|------------------------------|---|
| Short title and Commencement | 1. (1) This Act may be called the Himalayan Garhwal University (Amendment) Act, 2021. |
| | (2) It shall come into force at once. |
| Amendment in the Act | 2. In the Himalayan Garhwal University Act, 2016, (hereinafter referred to as principal Act) for the words "Himalayan Garhwal University" wherever they occurs the words, "Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University" shall be substituted. |
| Saving | 3. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act. |

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2021)

हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

- | | |
|----------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| अधिनियम में संशोधन | 2. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय" शब्द रख दिये जायेंगे। |
| व्यावृत्ति | 3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी। |

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण का कथन

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत हिमालयन विश्वविद्यालय नाम का ट्रेडमार्क होने एवं हिमालयन विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश व हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री